

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, वेबसाइट : bsea.bihar.gov.in, Email- bseapatna@gmail.com

पत्रांक- नि० प्रा०/ नि० 1-07/2024

1892

/पटना, दिनांक 05/08/2024

प्रेषक,

कयूम अंसारी,

संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०),

पूर्णिया, नवादा, रोहतास एवं बांका।

प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

(संलग्न सूची के अनुसार)।

विषय :

व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० की प्रबंधकारिणी कमिटी के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची की तैयारी ।

महाशय,

बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14 (क) (यथासंशोधित) एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बाधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-6476 दिनांक 12.05.2012 द्वारा बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 के तहत निर्बाधित सभी सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला पदाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) एवं अधिसूचना संख्या-6477 दिनांक 12.05.2012 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी को निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) पदनामित किया गया है। सामान्यतया प्रखंड विकास पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे लेकिन आवश्यक समझे जाने पर जिला पदाधिकारी आदेश द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व अंचल अधिकारी को सौंप सकेंगे।

3. सम्प्रति प्राधिकार उन 04 (चार) व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० का निर्वाचन कराना चाहता है, जो अवक्रमित हैं। वैसे समितियों की सूची परिशिष्ट-2 पर दी गई है।

4. वर्तमान में राज्य के व्यापार मंडल दो उप विधियों के आधार पर गठित हैं। सुविधा के लिए इन्हें हम पुरानी उपविधि एवं नयी उपविधि कह सकते हैं। नयी उपविधि का अर्थ है कि सोसाईटी सहकारिता विभाग के पत्रांक-4234 दिनांक 05.10.2009 द्वारा अनुमोदित नयी उपविधियां के आधार पर गठित की गयी है। दोनों उपविधियों की सदस्यता एवं अयोग्यता संबंधी प्रावधानों को प्रदर्शित करती एक सारिणी अनुलग्नक-1 के रूप में इस पत्र के साथ संलग्न है।

5. व्यापार मंडल के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्राधिकार द्वारा **कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.07.2026** निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। केवल वैसी समितियाँ एवं व्यक्तिगत किसान (पुरानी उपविधियों के मामले में) ही मत देने के योग्य होंगे जो उक्त तिथि तक व्यापार मंडल से संबद्ध हैं या सदस्य बन चुके हैं।

6. राज्य के जो व्यापार मंडल पुरानी उपविधि के अनुसार कार्य कर रहे हैं, निर्वाचन के उद्देश्य से उनकी मतदाता सूची दो भागों (Parts) में तैयार की जायेगी -

भाग- I (पुराना)

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यापार मंडल से कट-ऑफ तिथि में संबद्ध सहकारी समितियाँ (पैक्स सहित)।

भाग - II (पुराना)

कार्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तिगत किसान, जो कट-ऑफ तिथि में व्यापार मंडल के विधिवत् सदस्य हैं।

7. जिन व्यापार मंडलों ने नयी उपविधि को अंगीकार कर लिया है, निर्वाचन के उद्देश्य से उनकी मतदाता सूची भी दो भागों में तैयार की जायेगी -

भाग- I (नया)

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यापार मंडल से संबद्ध केवल सभी प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)।

भाग- II (नया)

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत व्यापार मंडल से कट-ऑफ तिथि तक संबद्ध अन्य सहकारी समितियाँ।

8. पुरानी उपविधि के अनुसार कार्यशील प्रत्येक व्यापार मंडल से संबंधित सदस्यता सूची प्रपत्र-1A एवं प्रपत्र-1B में तथा नयी उपविधि के अनुसार कार्यशील व्यापार मंडल से संबंधित मतदाता सूची प्रपत्र-1C एवं प्रपत्र-1D में व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा तैयार की जायेगी। उक्त प्रपत्रों की नमूना प्रति अनुलग्नक-2 पर दी गयी है।

9. प्रपत्र-1A/ 1C/ 1D जो संबद्ध समितियों के लिए हैं, के मामले में कट-ऑफ तिथि तक संबद्ध सभी समितियों का नाम उक्त प्रपत्रों में अंकित किया जायेगा। पैक्स (PACS) एवं अन्य समितियाँ, जिनके निर्वाचन सक्षम प्राधिकार द्वारा कराये जा चुके हैं, के मामले में 'अभ्युक्ति' स्तंभ में उनके निर्वाचन की तिथि अंकित की जायेगी, एवं स्तंभ-3 में 'अध्यक्ष' लिखा जायेगा। कुछ ऐसी समितियाँ भी हो सकती हैं जो या तो परिसमापित हैं या परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। इस तथ्य का उल्लेख भी उन समितियों के सामने अभ्युक्ति स्तंभ में करना है। वैसी समितियों के मामले में प्रपत्रों के स्तंभ-3, जहाँ समिति के अध्यक्ष लिखना है, को खाली (blank) छोड़ दिया जायेगा। कुछ ऐसी समितियाँ भी हो सकती हैं जो अपने निर्बंधित पते पर अस्तित्व में नहीं पायी गयी हो या जिनके बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, या जो परिसमापन के योग्य हैं किन्तु परिसमापन की प्रक्रिया अभी तक आरंभ नहीं की गई है। वैसी मामलों में अभ्युक्ति स्तंभ में तथ्य का उल्लेख किया जायेगा एवं डेलीगेट से संबंधित स्तंभ-3 खाली (blank) छोड़ दिया जायेगा।

10. प्रपत्र 1B (अर्थात पुरानी उपविधि के आधार पर सम्मिलित व्यक्तिगत किसान) सोसाईटी में उनकी सदस्यता के आधार पर तैयार किया जायेगा। वैसे सदस्यों का नाम, जिनकी मृत्यु की संपुष्ट सूचना प्राप्त हो सूची से हटा दिये जायेंगे।

11. प्रपत्र 1A/ 1B/ 1C एवं 1D में मतदाता सूची तैयार कर संबंधित व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को **दिनांक 08.08.2026** तक सौंपी जायेगी जो अपने यहाँ उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उसकी प्रामाणिकता (Authenticity) की जांच करेंगे एवं जांचोपरान्त, तथा संशोधनोपरान्त, अगर कोई हो, उसे सत्यापित कर निर्वाचन पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। अगर संबंधित व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा यह सूची निर्धारित अवधि तक जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो यह जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे स्वयं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सूची तैयार करें एवं सूची के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित कर इसे **दिनांक 10.08.2026** तक निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायें।

12. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित सदस्यता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी इस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना संलग्न **प्रपत्र-2 (अनुलग्नक-3)** में निर्गत की जायेगी।

13. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में एक स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

i) समिति द्वारा तीन प्रति में प्रारूप मतदाता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्रारूप मतदाता सूची प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 के आलोक में "समेकित सूची" होगी, जिसमें समिति की विशेष बैठक के बाद निर्वाचन प्रस्ताव के साथ समर्पित "प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची" तथा विशेष बैठक के बाद एवं प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि के पूर्व "नये बनाये गये सदस्यों एवं हटाये गये सदस्यों की सूची" भी शामिल रहेगी। यह समेकित सूची प्रपत्र- एम.1 में तैयार की जाएगी, जो समिति के अध्यक्ष/ प्रबंधक/ प्रशासक द्वारा हस्ताक्षरित होगी। हस्ताक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर किया जायेगा। समिति के पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः उस सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो समिति को एक अलग सूची बनाकर यह स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि नियमावली/ उपविधि के किस प्रावधान के तहत तथा किस प्रक्रिया को अपनाकर सदस्यता समाप्त की गयी है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस सूची पर विशेष ध्यान देंगे। प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सदस्य की अगर कोई अयोग्यता हो, तो उसका उल्लेख प्रपत्र- एम.1 के स्तम्भ-5 में निश्चित रूप से कर दिया जाय। समिति का यह भी दायित्व होगा कि कट-ऑफ तिथि तक वैध रूप से सदस्य बनाये गये सभी व्यक्तियों का नाम प्रपत्र एम-1 (प्रारूप मतदाता सूची) में अवश्य सम्मिलित रहे। इसके अतिरिक्त प्रपत्र एम- 1A में प्रबंधकारिणी की विशेष बैठक के बाद और प्राधिकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि पूर्व अर्थात् बीच की अवधि में नये बनाये गये सदस्यों एवं कारण सहित हटाये गये सदस्यों की सूची भी जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। **प्रारूप मतदाता सूची तैयार करते समय समिति द्वारा**

सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो।

(ii) प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका- 2 (ii) (क) के अनुपालन में समिति की विशेष बैठक के बाद समर्पित प्रस्तावित प्रारूप मतदाता सूची की जांच जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा पूर्व में कर ली गई होगी। अतः इस समय जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा विशेष बैठक के बाद एवं कट-ऑफ तिथि के बीच की अवधि में तैयार सूची प्रपत्र- एम 1A से “समेकित सूची” की जांच प्राधिकार के पत्रांक 717 दिनांक 06.05.2024 की कंडिका 2 (ii) (ख) (ग) के आलोक में की जायेगी। समिति द्वारा समर्पित प्रारूप मतदाता सूची की प्रमाणिकता की जाँच संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी प्राप्त अभिलेख एवं समिति के अभिलेख, यथा- सदस्यता बही, सभा बही, केशबुक आदि तथा अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूची में सुधार करने के लिए प्राधिकृत किये जा रहे हैं। उनके द्वारा जो भी सुधार किया जाएगा, उसके संबंध में स्पष्ट कारण भी अंकित किया जाएगा। जाँचोपरान्त एवं संशोधनोपरान्त (अगर कोई हो) मतदाता सूची दिनांक 10.08.2026 तक संबंधित समिति के निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ को सत्यापित किया जाएगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी कि प्रारूप मतदाता सूची में दी गई सूचनायें सही हों तथा कट-ऑफ तिथि तक सभी वैध सदस्यों के नाम सूची में शामिल रहें। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची आधार सूची मानी गयी है। अतः जिला सहकारिता पदाधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि उक्त सूची से यदि किसी व्यक्ति का नाम हटाया गया हो, तो वे यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि अधिनियम/ नियमावली/ उपविधि के प्रावधानों के तहत प्रक्रिया अपना कर ही सदस्यता समाप्त की गयी हो। निर्वाचन की पिछली मतदाता सूची से जिनका नाम समिति ने हटा दिया है और समिति द्वारा कंडिका- 13 (i) के अनुसार दी गयी सूची में सही प्रक्रिया के तहत नाम नहीं हटाया गया हो, तो जिला सहकारिता पदाधिकारी उसकी मान्यता नहीं देंगे और तदनुसार सूची में सुधार करेंगे। यह सुनिश्चित करना जिला सहकारिता पदाधिकारी का दायित्व होगा कि प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने में माननीय उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन न हो। जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रारूप मतदाता सूची प्राप्त हो जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस सूची को प्रारूप मतदाता सूची के रूप में प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार विहित स्थलों पर प्रकाशित करेंगे। प्रारूप मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी का पूर्ण एवं स्पष्ट हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य रूप से अंकित रहेगा। मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की सूचना प्रपत्र-एम 2 में निर्गत की जायेगी। प्रपत्र एम-2 के सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर भी किया जाना है। इससे संबंधित निर्देश परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

14. परिशिष्ट- 2 में अंकित व्यापार मंडल सहयोग समिति लि0 की मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन हेतु प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है :-

क्र०	कार्यक्रम	अवधि
1	व्यापार मंडल के प्रबंधक/ सचिव द्वारा प्रपत्र-1 में सदस्यता सूची जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	08.08.2026
2	जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा उक्त सूची का सत्यापन कर अथवा उक्त सूची स्वयं तैयार कर उसे निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध कराना	10.08.2026
3	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर प्रकाशन	11.08.2026
4	आम नोटिस का प्रकाशन जिसमें मतदाता सूची के संबंध में दावे/ आपत्तियाँ प्राप्त करने की तिथि और प्राप्त दावे/ आपत्तियों के निष्पादन की तिथि अंकित है	11.08.2026
5	दावे/ आपत्तियाँ दाखिल करने की अवधि	11.08.2026 से 20.08.2026 तक
6	दावे/ आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	22.08.2026

15. प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन निम्न स्थलों पर किया जायेगा :-

- निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर ।
- व्यापार मंडल के कार्यालय के सूचना पट पर ।
- जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर ।
- प्राधिकार के वेबसाइट पर (इससे संबंधित निदेश संलग्न परिशिष्ट-1 में दिया गया है।)
- समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भेजी जाएगी।

उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जाएगा।

16. प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं (समितियाँ/ व्यक्तिगत सदस्य) का नाम मतदाता सूची से हटाने के संबंध में कोई आपत्ति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में किसी समिति अथवा व्यक्ति का नाम अंकित किये जाने से संबंधित कोई दावा संलग्न प्रपत्र-3 (अनुलग्नक-4) अथवा प्रपत्र-4 (अनुलग्नक-5) में विहित समय सीमा के अन्तर्गत ही दिया जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम हटाने के संबंध में आपत्ति उन्हीं व्यक्तियों/ समितियों द्वारा दिया जायेगा जिनका नाम व्यापार मंडल की सदस्यता सूची में सम्मिलित है। सदस्यता सूची से बाहर किसी सहकारी समिति या व्यक्ति द्वारा दी गई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सिरे से खारिज कर दी जायेगी।

17. प्रारूप मतदाता सूची में लिपिकीय अथवा मानवीय भूलवश किसी सदस्य, उसके पिता/ पति का नाम एवं पता अथवा किसी समिति के नाम एवं पते में कोई भूल या त्रुटि परिलक्षित होने पर निर्वाचन पदाधिकारी प्रारूप मतदाता सूची में आवश्यक सुधार करने हेतु सक्षम होंगे।

18. प्रारूप मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि के संबंध में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (उप निर्वाचन पदाधिकारी) द्वारा उसकी सरसरी तौर पर पड़ताल कराई जाएगी तथा आवश्यकता महसूस होने पर संक्षिप्त सुनवाई कर आपत्ति की स्वीकृति/ अस्वीकृति

के संबंध में आपत्ति-पत्र पर ही मुखर आदेश पारित किया जाएगा। तदनुसार मतदाता सूची में आवश्यक संशोधन अनुपूरक मतदाता सूची के माध्यम से कर लिया जाएगा। पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची से यदि किसी मतदाता का नाम समिति ने हटा दिया हो, तो समिति को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा कि सहकारिता अधिनियम/ नियमावली के किन प्रावधानों के तहत उक्त कार्रवाई की गई है। निर्वाचन पदाधिकारी समिति के अभिलेखों का अवलोकन कर इस पर निर्णय लेगा। निर्वाचन पदाधिकारी इस विषय पर सहकारिता पदाधिकारी से तकनीकी परामर्श ले सकते हैं। इसी तरह जिनका नाम पिछले निर्वाचन की मतदाता सूची में नहीं था, परंतु नाम जोड़ने का दावा कर रहे हों, तो वैसे लोगों को मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किये जाने के मामले में आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क एवं शेरर राशि जमा करने का साक्ष्य अथवा पूर्व में अपने सदस्य होने का ठोस साक्ष्य अथवा शेरर प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा एवं जाँच के समय मूल प्रतियों की मांग आवश्यक रूप से की जायगी। साथ ही साथ, आवश्यकता महसूस होने पर इन मामलों से संबंधित समिति से भी प्रतिवेदन/ अभिलेख की मांग की जा सकती है।

19. प्रारूप मतदाता सूची में जो भी परिवर्तन किए जायेंगे, उन्हें प्रपत्र- 5 (अनुलग्नक-6) में दिए गए नमूने के अनुसार एक अनुपूरक सूची के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट उल्लेख रहेगा कि प्रारूप मतदाता सूची से कौन सी प्रविष्टि हटायी गयी है, कौन सी प्रविष्टि में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा कौन-सी नई प्रविष्टि जोड़ी गई है। प्रारूप मतदाता सूची एवं अनुपूरक मतदाता सूची के सम्मिलित रूप को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची माना जाएगा। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप प्रपत्र- 6 (अनुलग्नक-7) पर देखा जा सकता है।

20. संबंधित व्यापार मंडल की अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ के अंत में उसे तैयार करने वाले कर्मी तथा निर्वाचन पदाधिकारी/ प्राधिकृत उप निर्वाचन पदाधिकारी, दोनों द्वारा अंतिम प्रकाशन के दिन अपने नाम एवं पदनाम सहित हस्ताक्षर किया जाएगा, जो इस बात के प्रमाणस्वरूप होगा कि मतदाता सूची सही है एवं इसमें कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई है। सचेत किया जाता है कि प्रारूप मतदाता सूची अथवा पूरक मतदाता सूची की किसी प्रविष्टि में ओवरराइटिंग नहीं हो। किसी भी तरह के सुधार को स्पष्ट अक्षरों में उसके बगल में अंकित कर दिया जाय तथा उसके शीर्ष में सुधार करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपना आद्याक्षर (initial) अवश्य कर दिया जाय। अगर निर्वाचन संचालन के दौरान प्राधिकार को मतदाता सूची में संबंधित कर्मियों के स्तर पर कोई गड़बड़ी करने की संपुष्ट शिकायत प्राप्त होगी, तो प्राधिकार इसे काफी गंभीरता से लेगा।

21. मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के समय निर्वाचन पदाधिकारी -सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- 1 में टंकित या कम्प्यूटरीकृत रूप में उपलब्ध कराये गये मतदाता सूची की तीन प्रतियों में से दो का उपयोग करेंगे एवं एक प्रति मूल अभिलेख (कार्यालय प्रति) के रूप में सुरक्षित रखेंगे।

22. मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के समय अंतिम मतदाता सूची की नौ प्रतियाँ तैयार की जायेंगी। इसकी चार प्रतियों का उपयोग निर्वाचन के समय किया जाएगा तथा शेष बची प्रतियों में से एक प्रति प्रखंड मुख्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति सहकारी समिति के कार्यालय में अंतिम प्रकाशन के लिए, एक प्रति निर्वाचन पदाधिकारी के यहाँ अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखने के लिए तथा दो प्रति जिला

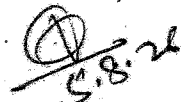
सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जायगी। जो सदस्य मतदाता सूची की फोटो प्रति प्राप्त करना चाहें, उन्हें ₹ 2/- प्रति पृष्ठ की लागत दर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा फोटो प्रति उपलब्ध करायी जाएगी।

23. दिनांक 22.08.2026 के पूर्वाह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी विनिर्दिष्ट स्थलों पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेंगे। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना प्रपत्र- एम 6 में निर्गत किया जाएगा। तत्पश्चात् मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना की प्रविष्टि प्राधिकार के वेबसाइट पर "हाँ" अथवा "नहीं" में की जाएगी। निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट किया जाता है कि वेबसाइट पर अंतिम प्रकाशन के सूचना की प्रविष्टि होने के पश्चात् ही प्राधिकार द्वारा संबंधित समिति का निर्वाचन कराया जायेगा।

24. जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने स्तर से भी प्राधिकार के उपर्युक्त निदेशों से अवगत करा देंगे। निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित व्यापार मंडल सहयोग समिति लि० को उपर्युक्त निदेश की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(कयूम अंसारी)

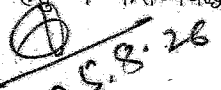
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1892

/पटना, दिनांक

05/08/2026

प्रतिलिपि : संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे कृपया निर्वाचन पदाधिकारी को स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। ज्ञातव्य हो कि निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा की गई किसी पृच्छा का सम्यक् एवं त्वरित उत्तर देने हेतु वे कर्तव्यबद्ध (dutybound) हैं।



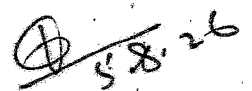
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1892

/पटना, दिनांक

05/08/2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



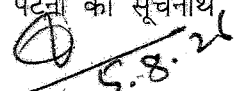
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1892

/पटना, दिनांक

05/08/2026

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



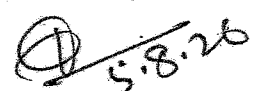
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 1892

/पटना, दिनांक

05/08/2026

प्रतिलिपि: प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ प्रेषित।



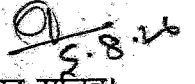
संयुक्त सचिव।

ज्ञापक : 1892

/पटना, दिनांक

05/08/2026

प्रतिलिपि: MIS कोषांग, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
निदेश है कि इस कार्यक्रम के अनुसार वेबसाइट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

 5.8.26

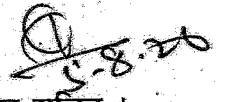
संयुक्त सचिव।

ज्ञापक : 1892

/पटना, दिनांक

05/08/2026

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना का कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 5.8.26

संयुक्त सचिव ।

मतदाता सूची के प्रकाशन कार्यक्रम के दौरान ऑनलाईन प्रविष्टि/ अपलोड से संबंधित निर्देश।

दिनांक **11.08.2026** को निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन अन्य विहित स्थानों के अलावे प्राधिकार के वेबसाइट पर प्रारूप मतदाता सूची को स्कैन करके Pdf File में अपलोड कर किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी-

- i) प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> का लॉगिन पेज open करेंगे,
- ii) ऊपर वर्णित "समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम" टैब पर क्लिक करेंगे,
- iii) मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना (M-2) पर क्लिक करेंगे,
- iv) टेबल में उपलब्ध विभिन्न पत्र संख्या के सामने "View" बटन पर क्लिक करेंगे,
- v) क्लिक करने के उपरांत नीचे खुले दूसरे टेबल में "प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं" की सूचना देते हुए प्रारूप मतदाता सूची के scanned pdf फाइल को अपलोड करेंगे,
- vi) scanned pdf फाइल अपलोड करने के उपरांत यह आश्वस्त हो लें कि सही फाइल को अपलोड किया गया है, तत्पश्चात् Entry करने वाले व्यक्ति का नाम तथा मोबाईल नम्बर देने के बाद Submit बटन पर क्लिक करेंगे।

प्रारूप मतदाता सूची स्कैन करने से संबंधी निर्देश :-

- i) प्रारूप मतदाता सूची को ब्लैक एंड व्हाइट मोड में स्कैन करना है (Grey अथवा Colour में नहीं),
- ii) Resolution 200 से 300 dpi में रखना है,
- iii) Scanned फाइल को pdf फाइल के रूप में save करना है,
- iv) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
- v) pdf फाइल साईज 30 MB से ज्यादा होने की स्थिति में compressed करने पर सूची अच्छे से पठनीय होना चाहिए, फाइल quality खराब नहीं होना चाहिए।

***कम्प्यूटर स्कैनर से स्कैन करने के लिए प्राथमिकता दिया जाय। स्कैनर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मोबाईल से स्कैन करते वक्त भी उक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाय।**

प्रारूप मतदाता सूची का pdf फाइल अपलोड हो जाने के बाद यह वेबसाइट के Home page पर उपलब्ध Public View "समितियों से संबंधित प्रारूप मतदाता सूची देखने के लिए क्लिक करें" पर क्लिक कर देखा जा सकता है।

2. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अपने-अपने प्रखंड में अवस्थित समितियों की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हॉ अथवा नहीं में) दिनांक **11.08.2026** को निम्नरूप से किया जायेगा :-

i) होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करें। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “प्रारूप प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में “हाँ” अथवा “नहीं” का चयन कर सबमिट करेंगे।

3. निर्वाचन पदाधिकारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद पुनः प्राधिकार के वेबसाइट <http://bsea.bihar.gov.in/> पर अपने यूजरनेम के माध्यम से लॉगिन कर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन कर दिये जाने की सूचना दिनांक **22.08.2026** को निम्नरूप से ऑनलाईन प्रविष्टि (केवल हाँ अथवा नहीं में) करेंगे :-

निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन करने के उपरांत होमपेज में ऊपर “समितियों के मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यक्रम” पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् वेबपेज पर इस पत्र के माध्यम से मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु निर्गत संख्या के सामने “View” पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरांत समितियों के नाम के सामने उल्लिखित “अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं” में हाँ अथवा नहीं का चयन कर एवं मतदाताओं की संख्या तथा प्रखंड मुख्यालय से समिति कार्यालय की अनुमानित दूरी टाईप कर सबमिट करेंगे।

4. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि किये जाने के पश्चात् प्रारूप प्रकाशन/ अंतिम प्रकाशन हुआ अथवा नहीं की स्थिति को ऑनलाईन ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने यूजरनेम के माध्यम से प्राधिकार के वेबसाइट पर लॉगिन कर डैशबोर्ड पर “मतदाता सूची के प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम की सूचनाएं” पर क्लिक कर देख सकेंगे।

.....0.....

निर्वाचन हेतु व्यापार मंडल सहयोग समितियों की सूची।

क्र०	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	सहकारी समितियों का नाम	अभ्युक्ति
1	पूर्णिया	बड़हरा कोठी	बी० कोठी व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०	
2	नवादा	रोह	रोह व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०	
3	रोहतास	नोखा	नोखा व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०	
4	बांका	फुल्लीडुमर	फुल्लीडुमर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०	

Figure 1: A line graph showing the relationship between the number of hours spent studying and the score on a test. The x-axis represents the number of hours (0 to 10), and the y-axis represents the score (0 to 100). The data points are as follows:

Hours Studied	Score
0	50
1	55
2	60
3	65
4	70
5	75
6	80
7	85
8	90
9	95
10	100

The graph shows a positive linear relationship between the number of hours spent studying and the score on a test. The score increases by 5 points for every additional hour of study.

परिशिष्ट-1: पुरानी एवं नयी उपविधियों के आधार पर व्यापार मंडल की संरचना से संबंधित तुलनात्मक विवरणी
नई उपविधि के अनुसार

सदस्यता

- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS)- प्रथम वर्ग
- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत अन्य सहकारी समितियाँ, जिसके उद्देश्यों में से कोई एक व्यापार मंडल के उद्देश्य के अनुरूप हो-द्वितीय वर्ग
- राज्य सरकार- तृतीय वर्ग

अयोग्यता

कोई भी समिति सदस्यता के योग्य अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य रहने योग्य नहीं होगा, यदि वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है :-

- दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया हो या दिवालिया हो या प्रमाणित दिवालिया हो, अथवा
- किसी राजनैतिक अभियोग के अतिरिक्त अभियोग में दंडित हुआ हो और दंड अपील में रद्द या माफ न कर दिया गया हो दंड अपील में माफ होने पर ऐसा व्यक्ति सदस्य हो सकता है, बशर्ते कि अयोग्यता ऐसी हालत में जबकि दंड देने की तिथि से पाँच वर्ष बीत चुके हैं, लागू नहीं होगी, अथवा
- समिति या वित्त पोषक बैंक का वेतन भोगी कर्मचारी हो, अथवा
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समिति द्वारा स्थापित कोई संबंध व्यक्तिक रूप में अथवा निलाम में या समिति की किसी लेन-देन के कार्य में (रुपए लगाने इन्वेस्टमेंट या कर्ज जिससे आर्थिक संबंध हो, उसके अतिरिक्त) स्वार्थ रखता हो और यदि वह संबंध या लेन-देन जारी हो या यदि वह लेन-देन, क्रय-विक्रय पूर्ण नहीं हुआ हो, अथवा
- वह अपने संबंधी के नाम पर समिति के कार्य के सदस्य ही कार्य करता हो

सदस्यता

- कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सहकारी समितियाँ-प्रथम वर्ग
- कार्यक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तिगत किसान-द्वितीय वर्ग
- व्यक्तिगत व्यापारी-तृतीय वर्ग, परन्तु ऐसे सदस्यों को समिति के व्यवस्था में भाग लेने का आम सभा में मत देने का अधिकार नहीं होगा
- राज्य सरकार-चतुर्थ वर्ग

अयोग्यता

कोई भी समिति सदस्यता के योग्य अथवा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य रहने योग्य नहीं होगा, यदि वह समिति जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है :-

- दिवालिया घोषित किए जाने के लिए आवेदन किया हो या दिवालिया हो या प्रमाणित दिवालिया हो, अथवा
- किसी राजनैतिक अभियोग के अतिरिक्त अभियोग में अथवा नैतिक पतन संबंधी अभियोग में दंडित हुआ हो और दंड अपील में रद्द या माफ न कर दिया गया हो दंड अपील में माफ होने पर ऐसा व्यक्ति सदस्य हो सकता है, बशर्ते कि अयोग्यता ऐसी हालत में जबकि दंड देने की तिथि से पाँच वर्ष बीत चुके हैं, लागू नहीं होगी, अथवा
- समिति या वित्त पोषक बैंक का वेतन भोगी कर्मचारी हो, अथवा
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में समिति द्वारा स्थापित कोई संबंध व्यक्तिक रूप में अथवा निलाम में या समिति की किसी लेन-देन के कार्य में (रुपए लगाने इन्वेस्टमेंट या कर्ज जिससे आर्थिक संबंध हो, उसके अतिरिक्त) स्वार्थ रखता हो और यदि वह संबंध या लेन-देन जारी हो या यदि वह लेन-देन, क्रय-विक्रय पूर्ण नहीं हुआ हो, अथवा
- वह अपने संबंधी के नाम पर समिति के कार्य के सदस्य ही कार्य करता हो
- पागल हो, अथवा
- वह लिये गए कर्ज के संबंध में समिति या दूसरी सदस्य समिति का बाकीदार हो, अथवा
- वह व्यावसायिक साहुकार (मनीलेंडर) हो, बशर्ते कि वह व्यक्ति, जो इसके अतिरिक्त भी योग्य हो तो भी वह प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य निबंधक के पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं होगा, यदि वह कुल 3 वर्षों तक समिति का सदस्य रह चुका हो

व्यापार मंडल निर्वाचन

अनुलग्नक-2

प्रपत्र- 1A

पैक्स सहित सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची भाग-I (पुराना)
(पुरानी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-1)

जिला का नाम :

व्यापार मंडल का नाम :

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।

प्रपत्र- 1B

व्यक्तिगत किसानों के संबंध में मतदाता सूची भाग-II (पुराना)
(पुरानी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-2)

क्रमांक	सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

प्रपत्र- 1C

पैक्स सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची भाग-I (नया)
(नयी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-1)

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।

प्रपत्र- 1D

पैक्स छोड़कर अन्य सदस्य सोसाईटी के संबंध में मतदाता सूची भाग-II (नया)
(नयी उपविधि के आधार पर कार्यशील व्यापार मंडलों का वर्ग-2)

क्रमांक	सदस्य सोसाईटी का नाम एवं पता	डेलीगेट/ प्रतिनिधि*	अयोग्यता, यदि कोई हो	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

* स्तंभ-3 में 'समिति के अध्यक्ष' शब्द अंकित किया जायेगा।

प्रपत्र-2

मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

व्यापार मंडल, प्रखंड

पंजीयन संख्या.....

के सदस्यगण।

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008 एवं बिहार राज्य सहाकारिता (संशोधन) नियमावली, 2008 के सुसंगत प्रावधानों तथा बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों के अनुसार व्यापार मंडल के निर्वाचन के निमित्त मतदाता सूची तैयार हो गयी है और उसकी एक प्रति कार्यालय के समय के दौरान मेरे कार्यालय में और उपर्युक्त व्यापार मंडल के कार्यालय तथा जिला सहाकारिता पदाधिकारी..... के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है। प्रारूप मतदाता सूची दिनांक से तक विहित स्थलों पर प्रकाशित रहेगी।

निर्वाचक नामावली के तैयार किये जाने की कट-ऑफ तिथि दिनांक है।

यदि उपरोक्त कट-ऑफ-तिथि के संदर्भ में नामावली में किसी नाम को सम्मिलित किया जाने के लिए कोई दावा या किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए कोई आक्षेप किया जाता है या किसी प्रविष्टि की विशिष्टियों की बाबत कोई आक्षेप हो तो वह दिनांक से (कार्यालय अवधि) के बीच निर्धारित प्रपत्रों में दाखिल किया जाय।

हर ऐसा दावा आक्षेप या तो मेरे कार्यालय में या (पदनाम) के समक्ष पेश किया जाय या नीचे दिये गये पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाय कि वह मुझे उपरोक्त तारीख तक मिल जाय। आपत्ति दाखिल करने के लिए निर्धारित प्रपत्रों (प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4) का नमूना मेरे कार्यालय में उपलब्ध है।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक को किया जायेगा।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

पता

ज्ञापक:

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबंधक/ सचिव, व्यापार मंडल, को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वे संलग्न मतदाता सूची (प्रपत्र-1) को व्यापार मंडल कार्यालय के सूचना पट पर इस मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना के साथ प्रकाशित करें।

2. कृपया मतदाता सूची के प्रकाशन की सूचना अपने स्तर से उपरोक्त व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को दे दें।

* निर्वाचन पदाधिकारी

पता

प्रपत्र-3

(मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,

.....व्यापार मंडल प्रखंड

महोदय,

मैंउपर्युक्त व्यापार मंडल के निर्वाचन के लिए प्रकाशित की गई प्रारूप मतदाता सूची, 1A/1B/1C/1D (जो लामू नहीं हों, उसे काट दें) के क्रमांक.....पर श्री/ श्रीमती/ कुमारी...../..... सहयोग समिति का नाम सम्मिलित किये जाने पर निम्न कारण (कारणों) से आपत्ति दर्ज करता/करती हूँ :

(i)

(ii)

अथवा

मैं श्री/ श्रीमती/ कुमारीपिता/पति का नामपता/.....सहयोग समिति का अध्यक्ष आवेदन/ दर्ज करता हूँ कि मेरा / मेरी/ समिति का नाम उपरोक्त व्यापार मंडल की मतदाता सूची में निम्नलिखित कारणों एवं साक्ष्य के आधार पर जोड़ दिया जाय।

कारण(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ का भी उपयोग किया जा सकता है।)

निम्नलिखित साक्ष्य इसके साथ संलग्न हैं।

(i) सदस्यता शुल्क का प्रमाण-पत्र / शेयर प्रमाण-पत्र की प्रति*

(ii) समिति की संबद्धता से संबंधित सबूत**

(iii)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि परिवर्णित तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। उक्त व्यापार मंडल के लिए प्रकाशित मतदाता सूची में मेरा नाम निम्नलिखित रूप से सम्मिलित है -

पूरा नाम.....; पिता का नाम; मतदाता सूची का क्रमांक.....***/सहयोग समिति का नाम-....., मतदाता सूची का क्रमांक.....***

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

*व्यक्तिगत सदस्य को मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन में इनमें से एक अभिलेख संलग्न करना आवश्यक होगा।

** सोसाईटी का नाम जोड़ने के लिए इस अभिलेख को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

*** मतदाता सूची से नाम विलोपित किए जाने के लिए आवश्यक।

की गई कार्रवाई की सूचना

1. श्री/श्रीमती/कुमारी....., जोका/की निवासी हैं/..... सहयोग समिति के अध्यक्ष द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है और व्यापार मंडल की मतदाता सूची के क्रमांक.....पर उल्लिखित श्री/श्रीमती/कुमारी...../..... समिति का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है/ क्रमांक.....पर उनका नाम जोड़ दिया गया है।

2. निम्नलिखित कारणों से नामजूर कर दिया गया है-

.....

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी,

..... व्यापार मंडल

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पता...../.....सहयोग समिति जोव्यापार मंडल के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांकको प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक है।

स्थान :

तारीख :

आपत्ति प्राप्त करने वाले

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-4

(मतदाता सूची से किसी प्रविष्टि से संबंधित विशिष्टियों पर आपत्ति दर्ज करने का प्रपत्र)

सेवा में,

निर्वाचन पदाधिकारी,व्यापार मंडल
..... प्रखंड

महोदय,

मैंनिवेदन करता/करती हूँ कि मुझसे /..... समिति से सम्बद्ध प्रविष्टि जो व्यापार मंडलप्रखंड के प्रारूप मतदाता सूची में क्रम संख्या.....परके रूप में दी गई है, शुद्ध नहीं है। उसे कृपया निम्नलिखित रूप में शुद्ध कर दिया जाय।

.....

स्थान :

तारीख :

आपत्तिकर्ता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(अगर आपत्तिकर्ता कोई समिति है तो उसकी ओर से समिति का अध्यक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है।)

की गई कार्यवाई की सूचना

श्री/श्रीमती/कुमारी....., जोका/की निवासी हैं/समिति के अध्यक्ष हैं, द्वारा दी गई आपत्ति को स्वीकार कर लिया गया है तथा संबंधित प्रविष्टि को निम्न रूप में सुधार दिया गया है :

.....

स्थान :

तारीख :

निर्वाचन पदाधिकारी,

.....व्यापार मंडल

आवेदन की रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पता...../ समिति, जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं, से आपत्ति विहित प्रपत्र में दिनांकको प्राप्त हुई है। आवेदन की रसीद का क्रमांक है।

स्थान :

तारीख :

आपत्ति प्राप्त करने वाले

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र-5

(अंतिम प्रकाशन के लिए अनुपूरक मतदाता सूची का नमूना)

जिला :

प्रखंड : व्यापार मंडल

मतदाता सूची का प्रपत्र संख्या* :

1. प्रविष्टि जो हटाई गई

मतदाता की क्रम संख्या	मतदाता / समिति का नाम

2. वर्तमान प्रविष्टि की शुद्धि

मतदाता की क्रम संख्या	वर्तमान प्रविष्टि			शुद्ध की गई प्रविष्टि		
	मतदाता / समिति का नाम	पिता का नाम**	पता	मतदाता का नाम	पिता का नाम	पता

**समिति के मामले में सिर्फ पता दर्ज करें।

3. प्रविष्टि जो जोड़ी गई

सदस्य का नाम	पिता का नाम**	पता	अयोग्यता यदि कोई हो	मतदाता सूची में दिया गया क्रमांक

**समिति के मामले में सिर्फ पता दर्ज करें।

*मतदाता सूची के प्रत्येक भाग (भाग-I या भाग-II) के लिए अलग-अलग प्रपत्र-5 बनाया जायेगा।

प्रपत्र-6

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना का प्रारूप

सेवा में,

व्यापार मंडल के सदस्यों को यह सूचित किया जाता है कि उक्त समिति के निर्वाचन सूची के प्रारूप में किये गये संशोधनों की सूची कट-ऑफ तिथि दिनांक को आधार मानकर तैयार की गई है और उक्त नामावली की एक प्रति संशोधनों की उक्त सूची सहित प्रकाशित कर दी गई है और मेरे कार्यालय में तथा संबंधित व्यापार मंडल कार्यालय तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी।

2. संलग्न मतदाता सूची की एक प्रति व्यापार मंडल को प्रेषित की जा रही है।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :

पता

ज्ञापक:

दिनांक

प्रतिलिपि: प्रबंधक/ सचिव, व्यापार मंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेशित किया जाता है कि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की सूचना दें।

दिनांक

निर्वाचन पदाधिकारी

स्थान :

पता

